

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-5375 दिनांक-12.06.2026 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-17.06.2026 में मद संख्या-13 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

13. स्वीकृत।

- विभिन्न कार्य विभागों (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि) के सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया एवं उनकी सेवा शर्तों के विनियमन हेतु "कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026" के गठन के संबंध में।

17/6/26

(अरविन्द कुमार वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सचिव, भवन निर्माण विभाग का कोषांग,
मैमोसं०-२४५७
प्रति, 18.6.26
प्रेषित

18/6/26

प्रणव कुमार



गजेश कुमार सिंह)
सचिव

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना**

संघिका संख्या-भवन/स्था-04/विधि-30/2013-5884 (भ) मीटिंग, दिनांक-24.06.2026

भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल विभिन्न कार्य विभागों (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि) के सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-

(i) यह नियमावली "कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार बिहार सरकार के सभी कार्य विभागों (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि) में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।- इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो-

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है, बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथानिर्धारित कार्य विभाग (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि);

(iii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग;

(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(v) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;

(vi) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;

(vii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता;

(viii) "सदस्य" से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति जिसमें नियत तिथि के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(ix) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति;

(x) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, इस संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति की अनुशंसा करने हेतु विभाग द्वारा गठित समिति।

3. संवर्ग की संरचना।-

(i) क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी-

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रास्थिति
1.	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
2.	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3.	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
4.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर

(ii) यह संबंधित कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन एक राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा।

(iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/स्वीकृत किया जायेगा।

(iv) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों को वही वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(v) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(vi) विभागों में लिपिक संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक से भिन्न पदनाम के उपलब्ध पद यथा भंडार लिपिक, पत्राचार लिपिक आदि वेतन की समकक्षता के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक अथवा उच्चवर्गीय लिपिक के पद समझे जायेंगे। ऐसे पदों के विरुद्ध नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति भी तदनुसार निम्नवर्गीय लिपिक अथवा उच्चवर्गीय लिपिक के पदधारक माने जायेंगे तथा निम्नवर्गीय लिपिक अथवा उच्चवर्गीय लिपिक के संवर्ग में उनकी वरीयता का निर्धारण लिपिक संवर्ग में उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जायेगा।

4. सीधी भर्ती।—

- (i) इस संवर्ग के मूल कोटि अर्थात् निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर ही सीधी भर्ती की जा सकेगी।
- (ii) निम्नवर्गीय लिपिक के 85 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।
- (iii) शेष 15 प्रतिशत पदों को कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के वैसे कर्मियों से, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जो निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हो तथा जिन्हें कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान हो।
- (iv) ऐसे सरकारी सैवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।
- (v) प्रत्येक कार्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रील की स्थिति के आधार पर विभाग स्तर पर निम्नवर्गीय लिपिक के पदों की रिक्तियों की गणना कर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को उपलब्ध करायी जाएगी।
- (vi) आयोग द्वारा अधियाचना के आलोक में विज्ञापन प्रकाशन किया जायेगा तथा आरक्षण कोटिवार अनुशंसा संबंधित कार्य विभाग को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर उन्हें मुख्य अभियंता कार्यालय आवंटित किया जाएगा।

(vii) संबंधित नियुक्ति प्राधिकार (मुख्य अभियंता) द्वारा समुचित जॉचोपरान्त नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा तथा उन्हें अपने नियंत्रणाधीन पदस्थापित किया जाएगा।

5. सीधी भर्ती हेतु अर्हता।—

(i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना तथा कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना आवश्यक होगा।

(ii) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र वही होगी जैसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

6. प्रोन्नति द्वारा भर्ती।—

(i) नियुक्ति प्राधिकार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की वरीयता सूची से निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक अर्हता रखने वाले कर्मियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति पर विचार करेगा।

(ii) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी।

7. आरक्षण।— इस संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्ति तथा प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोरटर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

8. परीक्ष्यमान अवधि।— सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी नियुक्ति के उपरान्त एक वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में यथा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

यदि परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाय तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, परिवीक्षा अवधि, एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाय, तो उसे सेवामुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

9. कम्प्यूटर सक्षमता, हिन्दी-टिप्पण प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा।—

(i) सीधी भर्ती/प्रोन्नति से भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मी को यथानिर्धारित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा, मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग द्वारा यथा

निर्धारित हिन्दी-टिप्पण प्रारूपण परीक्षा तथा राजस्व पर्यद द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

(ii) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्यद, बिहार द्वारा किया जायेगा।

10. सेवा सम्पुष्टि।— सीधी भर्ती/प्रोन्नति से भर्ती द्वारा नियुक्त किसी कर्म की सेवा परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा निर्धारित विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर सम्पुष्ट की जायेगी।

11. वरीयता।—

(i) इस संवर्ग के कर्मियों की वरीयता सूची का संधारण राज्य स्तर पर संवर्ग नियन्त्री प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

(ii) सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग की अनुशंसा के मेधाक्रमानुसार निर्धारित होगी। प्रोन्नति द्वारा भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता उनके नियुक्ति आदेश के क्रमानुसार होगी। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्म की वरीयता उसके योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी।

(iii) किसी वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्म प्रोन्नति द्वारा भर्ती से नियुक्त कर्म से कनीय होंगे। किसी वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्म सीधी भर्ती से नियुक्त कर्म से कनीय होंगे।

(iv) इस संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर आपसी वरीयता का निर्धारण प्रोन्नति आदेश के क्रमानुसार होगा।

(v) नियत तिथि के पूर्व से नियुक्त कर्मियों की संयुक्त वरीयता संवर्ग नियन्त्री प्राधिकार द्वारा राज्य स्तर पर समेकित रूप से पुनर्निर्धारित की जाएगी।

12. प्रोन्नति।—

(i) इस संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति, संवर्ग नियन्त्री प्राधिकार द्वारा, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जायेगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु आरक्षण, कालावधि आदि से संबंधित समय-समय पर निर्गत प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन संबंधित विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

13. संवर्ग का स्तर।-

संवर्ग नियंत्री प्राधिकार अथवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन क्रमशः सम्पूर्ण राज्य में तथा अपनी अधिकारिता के अधीन किया जा सकेगा। स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए अर्हता/प्रक्रिया का निर्धारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

14. अवशिष्ट मामले।-

(i) राज्य सरकार के अन्य कर्मियों पर लागू सेवा शर्तें, अनुशासन, छुट्टी, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन आदि के संबंध में प्रवृत्त सभी नियम, अनुदेश आदि समान रूप से इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

(ii) जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में विशिष्ट रूप से नहीं किया गया है, उनके संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए समय-समय पर निर्गत अनुदेश लागू होंगे।

(iii) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सक्षम विभाग होगा।

(iv) यदि इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में कोई कठिनाई हो, तो संबंधित विभाग की अनुशंसा पर राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) ऐसी कठिनाई का निराकरण राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कर सकेगा।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति।-

(i) इस संवर्ग के संबंध में कार्य विभागों (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि) द्वारा पूर्व में अधिसूचित सभी नियमावली/संकल्प/परिपत्र/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझे जायेंगे।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत नियमावली/संकल्प/परिपत्र/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

521

किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था-04/विविध-30/2013/ पटना, दिनांक-24.06.2026
प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था-04/विविध-30/2013/ पटना, दिनांक-24.06.2026
प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव।